ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 131-133
ISSN NO.- 2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.- 2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

महिला पुलिस कर्मियों के सामाजिक और मानसिक शोषण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अमिता वर्मा

शोध अध्येत्री– समाज शास्त्र विभाग, डी0बी0एस0 कालेज, गोविन्द नगर, कानपुर (उ0प्र0) भारत

Received-28.02.2024, Revised-04.03.2024, Accepted-10.03.2024 E-mail: amitav734@gmail.com

***सारांशः** समय के साथ–साथ समाज में महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विश्व भर में अनेक नारीवादी आंदोलन हुए और वर्तमान समय में संघर्ष जारी है। इन आंदोलनों का ही असर है कि महिलाएं पुरुष प्रधान क्षेत्र पुलिस बल में अपनी जगह बना रही हैं। एक ओर जहां समाज यह सोच रखता है कि महिलाओं को शिक्षिका, बैंक, कर्मचारी जैसे कार्य शोभा देते हैं वहीं दूसरी तरफ पुलिस की वर्दी पहने एक महिला उनके इन विचारों को चुनौती देते हुए दिखाई देती है। इस संबंध में "जब हम महिलाओं और बालिकाओं में निवेश करते हैं तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं, जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं।"*

"मेलिंडा गेट्स" का कथन है कि प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्व को रेखांकित करता है बल्कि उनकी प्रासंगिकता का भी निर्धारण करता है, साथ ही यदि हम संपूर्ण वैश्विक इतिहास पर गौर करें तो जाहिर होता है कि कैसे समाज व राष्ट्र में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका ने राष्ट्रों की संवेदनशीलता, स्थिरता, प्रगति और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित किया है। मौजूदा समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष नहीं है, जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो, परिवार की जिम्मेदारियों से लेकर अंतरिक्ष की उड़ानों तक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी खास जगह बनाई व अपने कार्य व अनुभव से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है।

***कुंजीभूत शब्द–** नारीवादी आंदोलन, पुरुष प्रधान, कर्मचारी, वास्तविकता, प्रासंगिकता, संवेदनशीलता, स्थिरता, प्रगति, दीर्घकालिक।*

पुरुष प्रधान माने जाने वाले पुलिस बल में भी महिलाओं की भूमिका हमेशा ही सकारात्मक व सराहनीय रही है। भारतीय पुलिस बल में महिलाओं ने अपनी भूमिका के माध्यम से कई सूक्ष्म व वृहद बदलाव किए हैं, परंतु आज भी पुलिस व्यवस्था में नारी सशक्तिकरण की भारी कमी देखी जा सकती है।

आज 21वीं सदी में जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एक बेहतर मानसिक स्थिति वाले समाज की बात करते हैं, इसी समाज में जब बात महिलाओं व उनके अधिकारों की आती है तो हमें ठहर कर सोचना पड़ता है कि क्या है उनके अधिकार, साथ ही जो अधिकार उनको प्राप्त भी हैं, क्या उनका वह पूर्ण प्रयोग करने में सक्षम है।

क्या समाज का हर वर्ग उनको अपने समान समझता है, क्यों हम एक महिला पुलिस ऑफिसर को पहले महिला के रूप में देखकर सारे तर्क देकर फिर उसे ऑफिसर समझते हैं। पुलिस व्यवस्था में ही यह कई बार सुना जाता है कि यदि महिलाएं अधिक मात्रा में यहां रहेंगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा..... क्योंकि इस समाज की मानसिक स्थिति ऐसी है कि एक पुरुष पुलिस ऑफिसर ही पूरे समाज की सुरक्षा कर सकता है परंतु एक समान महिला ऑफिसर को पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि महिला व पुरुष समान रूप से समाज के मूल आधार स्तंभ हैं।

भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, "लैंगिक समानता की लड़ाई मानसिकता की लड़ाई है" मानसिक व शारीरिक दुर्बलता का हवाला देते हुए महिलाओं की भागीदारी को रोकने की कोशिश हमारी मानसिक दुर्बलता की परिचायक है। पुलिस विभाग में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व इस तथ्य को उजागर करता है कि अभी भी उन्हें वे बनाम हम के रूप में पहचान दी जाती है। महिलाओं की तैनाती का निर्णय आज भी पूर्ण रूप से लैंगिक रूढिवादिता से मुक्त नहीं है। जो महिलाओं के जीवन में बाधा बनकर उभरते हैं और अग्रणी भूमिका निभाने से रोकते हैं। पुलिस विभाग में महिलाओं से जुड़े कुछ मामलों को देखे जैसे–

- उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिले में एक महिला कांस्टेंबल ने अपने ही विभाग के एक पुरुष सब–इंस्पेक्टर राजू कुमार पर बलात्कार का आरोप लगाया।
- उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की एक महिला कांस्टेबल ने अपने सीनियर ऑफिसर द्वारा परेशान किए जाने पर खुलासा एक वीडियों के माध्यम से किया और जब वह महिला कांस्टेबल यह कहते हुए नजर आई कि "मैं पुलिस में हूं जब मैं अपनी मदद करने में असमर्थ हूँ तो मैं कैसे बाकी समाज की महिलाओं को यह विश्वास दिलाऊं कि मेरी जैसी महिला पुलिस उनकी मदद करने में समर्थ होगी, जबकि यहां मेरा ही शोषण हो रहा है"।
- सितंबर 2018 में 34 महिला पुलिसकर्मियों ने कार्यस्थल पर एक इंस्पेक्टर पर शोषण का आरोप लगाया, लेकिन फिर दर्ज करने के चार महीने बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और इनका मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस प्रकार कार्यवाही तब हुई जब मामला सार्वजनिक हुआ।

मुख्य रूप से इन चुनौतियों के साथ ही पुलिस व्यवस्था में महिलाओं के समक्ष कुछ और चुनौतियों व समस्याएं भी मौजूद होती हैं जैसे महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था न होना, जो की एक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है, महिलाओं के लिए पृथक आरामग्रह की कमी, महिलाओं के लिए अलग आवास और अन्य सुविधाओं एवं बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था का अभाव तथा महिलाओं को शारीरिक रूप से कम दुष्कर या हेल्प डेस्क ड्यूटी के कार्य स्थानांतरित करना अथवा केवल महिलाओं के

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

विरुद्ध अपराधों पर कार्यवाही के लिए पुलिस कार्य देखकर उन्हें दरकिनार करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। साथ ही यह देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मियों को मुख्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है, ताँकि महिला कैदियों में संलग्न दायित्वों को नियुक्त करने की अवधारणा भी उनके हितों के विरुद्ध काम करती है। क्योंकि यह उन्हें मुख्य पुलिस कार्यों से अलग करती है तथा महिला की तैनाती के निर्णय में लैंगिक रूढ़िवाद देखा जा सकता है, जो महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभाने से रोकता है, यह पूर्वाग्रह केवल पुलिस सहकर्मियों तक ही सीमित नहीं है अपितु कभी–कभी वरिष्ठ महिला अधिकारी भी उन्हें कम इच्छुक और कमजोर मानती हैं।

वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि पुलिस में ज्यादातर महिलाएं निचले पायदान पर कार्यरत हैं, जो प्रमुख कार्यकारी पदों पर महिलाओं की कमी को दर्शाता है, जहां देश की आबादी में महिलाओं के हिस्सेदारी 47 प्रतिशत है, वही देश के पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 10 प्रतिशत ही है। तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला पुलिसकर्मियों पर महिलाओं की आबादी का अनुपात 3036 है जो बहुत ही कम है, जबकि कुछ परिस्थितियों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावी होती हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए समाज के द्वारा उसके व्यवहार विचार, संवेग, भावनाओं और आदतों से प्रभावित होते हैं, वही दूसरी ओर उसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों, भावनाओं, आदतों पर भी पड़ता है। मानव व्यवहार अभ्यास पर आधारित है। अभ्यास मनुष्य सम्बद्ध क्रिया की देन है और मानव व्यवहार सकारात्मक, नकारात्मक दोनो प्रकार का होता है। मनोवैज्ञानिक कूले और मीड मानते है. 'कि समाज मे व्यक्ति का व्यवहार उसकी भूमिका के अनुसार होता है। व्यक्ति की भूमिका तथा उसके अहम् के बीच अन्तः क्रिया होती है'' इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का जैसा समाजीकरण होगा उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। इस तरह मनुष्य का व्यवहार उसके अहं और भूमिका का प्रतिफल है। इसी प्रकार से हम उचित शिक्षा व जागरूकता के द्वारा हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। समय के साथ–साथ समाज में महिलाओं की भूमिकाएं बदल रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विश्वभर में अनेक नारीवादी आन्दोलन हुए। और वर्तमान समय में भी संघर्ष जारी है। इन आन्दोलनों का ही प्रभाव है, कि महिलाएं पुरुष वर्चस्व वाले में पुलिस बल में भी अपना स्थान बना रही है। वहीं जहाँ समाज ये मानसिकता रखता है कि महिलाओं को शिक्षिका, बैंक कर्मचारी जैसे कार्य शोभा प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की वर्दी पहने एक महिला उनके विचारों को चुनौती देती हुए दिखाई दे रही है।

अध्ययन की आवश्यकता– आज भी वर्तमान समय में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं पारिवारिक समायोजन के अध्ययन की आवश्यकता है जिससे समाज में महिलायें विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त एवं विभिन्न चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सके। फिर भी आज महिला पुलिस कर्मियों को उतनी सफलता और लोकप्रियता नही मिली है। जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। यदि आज महिलाएँ अन्य क्षेत्रों को छोड भी दे, तो महिलाएँ अपने ही विभाग में भेदभाव का शिकार पायी जा रही है। आज भी पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के प्रति सकारात्मक रूझान कम है और जितनी महिलाएं पुलिस में हैं उनकी स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी होनी चाहिये और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस कार्य क्षेत्र में स्वयं ही महिलायें भेदभाव व उत्पीड़न की समस्याओं से जूझ रही है और अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना को सहन कर रही है।

महिला पुलिस कर्मियों को मुख्य रूप से महिलाओं के विरूद्ध अपराधो से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही इन्हें महिला कैदियो से जुड़े दायित्वों के लिए नियुक्त करने की अवधारणा भी इनके हितों के विरूद्ध काम करती है क्योंकि यह उन्हे पुलिस के मुख्य कार्यों से अलग करती है इसलिए इस अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया गया क्योंकि महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था न होना, महिलाओं के लिए पृथक आरामगृह की कमी, महिलाओं के लिए अलग आवास और अन्य सुविधाओं एवं बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था का अभाव आदि के कारण पुलिस विभाग निरन्तर और व्यापक रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह के साथ–साथ लैंगिक उदासीनता से निपटने के लिये इस अध्ययन हेतु बाराबंकी जिले को चुना गया है। जिसमें शोधार्थी अध्ययन करना चाहती है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन– ''मीनाक्षी सिंह'' (2022) ने 'महिला पुलिस एक संघर्षपूर्ण जीवन के अपने अध्ययन मे बताया कि पुरुष महिला क बीच हो रहे भेदभाव को मिटाना होगा महिला को समान अधिकार प्रदान किये जाने का प्रयास करना होगा।

''डा० के०के० शर्मा' और 'डा० रिम्पी गुप्ता के 'पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति एवं समस्या (2018) मे प्रस्तुत शोधकार्य में सर्वेक्षण विधि पर आधारित है जिसमें वर्णनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया और इस में पाया गया कि महिला पुलिस कर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण व उन्हे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

'रमेश प्रसाद द्विवेदी'' (2013) ने 'महिलाएं एवं मानवाधिकार संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान के अपने अध्ययन में बताया कि महिलाओं को हमारे संविधान में वर्णित विभिन्न अधिकारों व कर्तव्यों को व्यवहारिक जीवन में लाना होगा तभी एक महिला का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।

''सुधीर कुमार श्रीवास्तव' (1985) ने 'महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका नामक अपने अध्ययन में बताया कि महिलायें तभी सशक्त हो सकती है जब शिक्षा के माध्यम से जागरूकता लायी जाए।

"यादव चंदा" (2022) "महिला पुलिस – अधिकार व चुनौतियाँ" के अपने अध्ययन में बताया कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से ही व्यवहार में संवेदनशील होती हैं, इस वजह से वह कई तरह के विशेष मामलों को सुलझाने में ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं।

समस्या कथन– महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं पारिवारिक समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।

उद्देश्य– 1. महिला पुलिस कर्मियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2. महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका से जुड़ी अभिवृत्तियों का अध्ययन करना।
3. महिला पुलिस कर्मियों का शैक्षिक अध्ययन करना।
4 महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं पारिवारिक समायोजन का अध्ययन करना।
5. महिला पुलिस कार्यक्षेत्र में किन समस्याओं का सामना करती है उनका पता लगाना।
6. महिला पुलिस कर्मियों के साथ विभाग मे हो रहे भेदभाव एवं उत्पीड़न की प्रकृति का अध्ययन करना।
7. महिला पुलिस कर्मियों के लिये बनाई गयी सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना–

1. महिला पुलिस कर्मी अपने कामकाजी स्थान पर अपनी विभिन्न शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आवश्यकताओं से सन्तुष्ट नही है, इसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है।
2. महिला पुलिस कर्मियों के साथ दोहरा व्यवहार होता है, जिससे वे काम करने में असन्तोष व्यक्त करती है।
3. महिला पुलिस कर्मी महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम है।
4. महिला पुलिस कर्मियों का परिवार और कार्यक्षेत्र में सामाजिक शोषण होता है।

शोध प्रारूप– प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हुए व्याख्यात्मक विधि के माध्यम से, संगणना विधि के द्वारा बाराबंकी जिले के समस्त महिला पुलिस कर्मियों का अध्ययन किया जायेगा। इस अध्ययन के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के जीवन से जुड़े हुए विविध पहलुओं का बारीकी से परखते हुये अध्ययन किया जायेगा और इस सन्दर्भ में एक बेहतर सोंच विकसित करने का कार्य किया जायेगा तथा पुस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा।

शोध के प्रकार– प्रस्तुत शोध कार्य में आधारभूत शोध (ग्राउंडेड थ्योरी) का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या– प्रस्तुत शोध कार्य में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के समस्त थानो में कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को उद्देश्यात्मक निर्देशन विधि के रूप में लिया गया है जिसमें 100 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया जायेगा।

नमूना और नमूनाकरण प्रक्रिया– प्रस्तुत अध्ययन में बाराबंकी जनपद के महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका एवं पारिवारिक समायोजन एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने हेतु समस्त महिला पुलिस कर्मियो को एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमे बाराबंकी क्षेत्र में महिला पुलिस कर्मी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, प्रमुख आरक्षी, आरक्षी, सहायक पुलिस, उपनिरीक्षक पदों पर तैनात है।

आँकड़ो का संकलन एवं उपकरण– प्रस्तुत शोध कार्य में गहन साक्षात्कार, अर्द्धसहभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया है जिसमें साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, पत्र–पत्रिकाओं, जर्नलस अखबार, पुस्तकों मैगजीन आदि का प्रयोग किया जायेगा और जिसके पश्चात् प्राप्त आकड़ों को वर्गीकरण एवं सारणीकरण किया जायेगा। निष्कर्षों को ग्राफ व चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वासिनक बोरकर हेमलता, (2015), "महिला सुरक्षा की चुनौतियां", ISSN.
2. द्विवेदी प्रसाद, रमेश, (2013), 'महिलाएं एवं मानवाधिकार संवैधानिक एवं कानूनी प्रवाधान", ISSN.
3. शर्मा, के०के० डॉ०, (2010), "पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति एवं समस्यायें", (RJPP) Vol- 16.
4. कुमार, राहुल (2008) "पुलिस विज्ञान पत्रिका'।
5. सिंह, मिनाक्षी, (2003), 'महिला पुलिस एक संघर्षपूर्ण जीवन का अध्ययन", (JETIR), Volume 9, Issue 8.
6. अलीम, शमीम, 'वूमैन इन इण्डियन पुलिस स्टलिंग पब्लिशर्स : (1991).
7. गुडे, विलियम, जे० एण्ड हॉट पाउँल के०, 'मैथेड इन सोशल रिसर्च' (1952).
8. रूबाली, एन० प्रियंका डॉ०, "कामकाजी महिलाओं की प्रस्थिति एवं समस्याएं", ISSN : 0976–3287.
9. सारिकयाल अमित, "महिला पुलिस अधिकार एवं कर्त्तव्य, गूगल BOOK.
10. पुष्पा मैत्री, "गुनाह–बेगुनाह रचना'।

*****